Speed Post

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003
दिनांकः 27/03/2019

(1) File No. HK/1/2019/MHRD2/DEOTH/RU-III

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
बेनिटो जुआरेज़ मार्ग,
साउथ कैंपस, साउथ मोती बाग,
नई दिल्ली – 110021

विषयः दिनांक 08–03–2019 को माननीय उपाध्यक्ष द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय, के अधिकारीयों के साथ हुई बैठक का कार्यवृत ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के मुख्यालय में दिनांक 08–03–2019 को हुई बैठक का संदर्भ ग्रहण करें । उक्त बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है । आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट इस आयोग को **15 दिन** के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,
27/3/
(डॉ. ललित लट्टा)
निदेशक

प्रतिलिपिः

1. श्री हिमांशु कुमार,
   रूम नं. 66, सारामती पीजी होस्टल,
   यूनिवर्सिटी ऑफ़ दिल्ली, साऊथ कैंपस,
   नई दिल्ली – 110021
2. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- HK/1/2019/MHRD2/DEOTH/RU - III)

श्री हिमांशु कुमार, रूम नं. 66, सारामती पीजी हॉस्टल, दिल्ली विश्वविद्यालय, साऊथ कैंपस, नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्र की उच्चशिक्षा में कथित रूप से बाधा डालने, बार-बार भेदभाव कर मानसिक उत्पीड़न करने व धमकी देने के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसूईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 08.03.2019 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 08.03.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. श्री हिमांशु कुमार, रूम नं. 66, सारामती पीजी हॉस्टल, दिल्ली विश्वविद्यालय, साऊथ कैंपस, नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्र की उच्च शिक्षा में कथित रूप से बाधा डालने, भेदभाव कर मानसिक उत्पीड़न करने व धमकी देने के संबंध में आयोग को अभ्यावेदन दिया गया था।
2. आयोग द्वारा मामले में संज्ञान लेकर दिनांक 11.02.2019 को रजिस्ट्रार, दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी की गई थी।
3. दिनांक 07.03.2019 को डिप्टी रजिस्ट्रार, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जवाब प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि हिमांशु कुमार, दिसंबर 2017 के एमटेक प्रथम सेमेस्टर के सभी सैद्धांतिक (थ्योरी) पेपर में फेल हो गए और दिसंबर 2018 के प्रथम सेमेस्टर में दो पेपर में फेल हो गए। दिल्ली विश्वविद्यालय के परास्नातक पाठ्यक्रम में उत्तर-पुस्तिकाओं की कोर्डिंग होती है और परीक्षक को इसकी जानकारी नहीं होती है कि वह किसके उत्तर-पुस्तिका की जांच कर रहा है। जांच के बाद विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग द्वारा उत्तर-पुस्तिका की डीकोर्डिंग की जाती है और प्राप्त अंक जोड़े जाते हैं। इसलिए श्री हिमांशु कुमार का यह कहना कि विभाग के प्रोफेसर जातिगत भावना से उन्हें फेल करते हैं अनुचित है। उत्तर-पुस्तिका में प्रदर्शन के आधार पर ही नंबर दिया जाता है।
4. प्राप्त जवाब से अभ्यावेदक को अवगत कराया गया जिससे अभ्यावेदक ने असंतुष्टि जाहिर की तत्पश्चात मामले में आयोग द्वारा दिनांक 08.03.2019 को 3.00 बजे बैठक आयोजित

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

की गई जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रोफेसर इनाक्षी खुल्लर शर्मा (इलेक्ट्रॉनिक विभाग) और ओ. पी शर्मा (अनुभाग अधिकारी) उपस्थित हुए।

5. आयोग ने अभ्यावेदक को अपना पक्ष रखने को कहा, जिसके बाद श्री हिमांशु कुमार, रूम नं. 66, सारामती पीजी हॉस्टल, दिल्ली विश्वविद्यालय ने आयोग को अवगत कराया कि अनुसूचित जनजाति का छात्र होने के कारण वर्ष 2017 के प्रथम सेमेस्टर में सभी विषयों की थ्योरी परीक्षा में मुझे फेल कर दिया गया। प्रायोगिक और आंतरिक परीक्षा में मुझे अच्छे अंक प्राप्त हुए थे। इसके बाद मुझे दुबारा नामांकन लेना पड़ा। वर्ष 2018 के दिसंबर की परीक्षा में भी मुझे 2 थ्योरी पेपर में फेल कर दिया गया। इसके बाद मैं अपने विभागाध्यक्ष के पास गया लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनने के बजाय मुझसे धमकी भरे लहजे में बात की। साथ ही मुझे हॉस्टल खाली करने को लेकर दवाब बनाए जाने लगा जबकि मैं फेल होने के बाद भी विश्वविद्यालय का छात्र था और हॉस्टल का वार्षिक जमा राशि व मासिक किराया भी मेरे द्वारा जमा किया गया था। मैने विभागाध्यक्ष अविनाशी कपूर और हॉस्टल प्रोवोस्ट इंद्रनिल दासगुप्ता से हॉस्टल में रहने का अनुरोध किया। इसके बाद मुझे हॉस्टल प्रोवोस्ट और विभागाध्यक्ष व अन्य प्रोफेसर द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। विभागाध्यक्ष द्वारा मेरे छात्रवृति के लिए भी हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया, उन्होंने कहा कि तुम अब विभाग के छात्र नहीं हो।
6. आयोग द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों को अपना पक्ष रखने को कहा गया, प्रोफेसर इनाक्षी खुल्लर शर्मा ने बताया कि इनकी शिकायत है कि इन्हें फेल कर दिया गया। हमारे पास जब परीक्षा कॉपी आती है तो हमें नहीं मालूम होता है कि वह किसकी कॉपी है। परीक्षा विभाग द्वारा कॉपी की कोर्डिंग की जाती है और फिर वापस परीक्षा विभाग द्वारा छात्रों को नंबर दिए जाते हैं। इसलिए विभाग द्वारा जानबूझकर फेल कराए जाने का इनका आरोप गलत है। अभ्यावेदक को प्रायोगिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं जहां ये स्वयं उपस्थित थे। इस आधार पर भेदभाव का आरोप निराधार है।
7. अभ्यावेदक ने कहा कि प्रोफेसर द्वारा ही छात्रों को प्रवेश-पत्र दिया जाता है ऐसे में इन्हें पता होता है कि वे किस छात्र की कॉपी जांच कर रहे हैं। 2014 में भी एक छात्र को इसी तरह कोर्स पूरा नहीं करने दिया गया था। पूर्वोत्तर भारत के छात्र भी सेमेस्टर में फेल होते हैं लेकिन उन्हें हॉस्टल से नहीं निकाला जाता है जबकि मुझे हॉस्टल से बाहर कर दिया गया। वर्ष 1984 से विश्वविद्यालय में यह विभाग संचालित है लेकिन अभी तक एक भी अनुसूचित जनजाति का छात्र एमटेक पूरा नहीं कर पाया है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

8. दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा बताया गया कि आंतरिक परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा में हमें छात्रों के बारे में जानकारी होती है लेकिन थ्योरी की परीक्षा में छात्रों की जानकारी नहीं होती है। छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर ही उन्हें अंक दिए जाते हैं। आंतरिक परीक्षा व प्रायोगिक परीक्षा में छात्रों की जानकारी होने पर भी उन्हें अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं इससे स्पष्ट है कि विभाग द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। कुछ हॉस्टल पूर्वोत्तर के अनुदान से बने हैं। उनमें पूर्वोत्तर के छात्रों का 70 प्रतिशत कोटा है इसलिए उन्हें हॉस्टल से नहीं हटाया जाता है।
9. बैठक के दौरान अन्य छात्र अरविंद कुमार रौल नं- 3805, जिय़ाउलरमजान रौल नं- 3829 ने भी आयोग को अपनी समस्या से अवगत कराया तथा न्याय दिलाने का निवेदन किया।
10. आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने तथा दस्तावेजों का परीक्षण करने के पश्चात निम्नलिखित अनुशंसा की -:

- हिमांशु कुमार, रौल नं- 3812, एम. टेक. 2018, सेमेस्टर I का पेपर 1.1 (Electromagnetic Theory and Transmission Line) व सेमेस्टर II, पेपर- 1.2 {Micro Web Device,(passive devices)} व पेपर- 1.3 की थ्योरी परीक्षा की कॉपी आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
- आयोग की अगली बैठक में परीक्षा नियंत्रक, विभागाध्यक्ष, निदेशक को सेमेस्टर II, पेपर II की आंतरिक जांच की कॉपी सहित प्रस्तुत हो।
- साथ ही अन्य छात्रों अरविंद कुमार रौल नं- 3805, जिय़ाउलरमजान रौल नं- 3829 की एम. टेक. 2018, सेमेस्टर I का पेपर 1.1 की कॉपियां आयोग में प्रस्तुत की जाए ताकि इनकी निष्पक्षता की जांच की जा सके।

उपरोक्त अनुशंसा के अनुपालन में कार्यवृत्त प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर कार्यवाही रिपोर्ट से आयोग को अवगत कराया जाए।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- HK/1/2019/MHRD2/DEOTH/RU - III)

श्री हिमांशु कुमार, रूम नं. 66, सारामती पीजी हॉस्टल, दिल्ली विश्वविद्यालय, साऊथ कैंपस, नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्र की उच्चशिक्षा में कथित रूप से बाधा डालने, बार-बार भेदभाव कर मानसिक उत्पीड़न करने व धमकी देने के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय उपाध्यक्ष महोदया सुश्री अनुसूईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 08.03.2019 को आयोग में आयोजित सिटिंग में उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची –

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
  - (1.) सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष
  - (2.) डॉ ललित लट्टा, निदेशक
  - (3.) श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष महोदया के निजी सचिव
  - (4.) श्री आलोक कुमार द्विवेदी, परामर्शक
- **दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारी**
  - (1.) प्रो. इनाक्षी खुल्लर शर्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग
  - (2.) ओ. पी शर्मा, अनुभाग अधिकारी
- **अभ्यावेदनकर्ता**
  - (1.) हिमांशु कुमार